

कार्यालय उपायुक्त पानीपत

जिला पानीपत को दिनांक 14.04.2020 तक लॉकडाउन किया गया है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1 (ए) की अनुपालना में माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के कार्यालय के यादि पत्र क्रमांक 41/14/2016-5 Pol दिनांक 27.03.2020 के निर्देशानुसार उक्त लॉकडाउन की अवधि में कृषि से जुड़े निम्नलिखित कार्यों/गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त करने के आदेश तुरंत प्रभाव से पारित किये जाते हैं, परंतु इस दौरान इन कार्यों में Covid-19 से सम्बन्धित सरकार द्वारा जारी किये गए सभी दिशानिर्देश/सावधानियों को बरतना सुनिश्चित करना सर्वोपरि होगा।

1. किसानों एवं मजदूरों द्वारा खेतों में कृषि कार्यों का परिचालन करना।
2. कृषि मशीनरी से सम्बन्धित कस्टम हायरिंग सैन्टर (CHC) का संचालन।
3. फसल कटाई एवं बिजाई से सम्बन्धित कृषि मशीनरी जैसे कंबाइन हारवेस्टर व अन्य मशीनरी का अंतर्जिला/अंतरराज्यीय आवागमन।
4. कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर व अन्या कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकानें।

उपायुक्त, पानीपत

पृ० क्रमांक १६५, MA दिनांक १-५-२०२०

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस अधीक्षक, जिला पानीपत।
2. उप मण्डल अधिकारी (ना०) समालखा, पानीपत।
3. उप कृषि निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पानीपत।
4. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, पानीपत।

उपायुक्त, पानीपत

पृ० क्रमांक १६५, MA दिनांक १-५-२०२०

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव महोदया हरियाणा, सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।
3. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

उपायुक्त, पानीपत